


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]
No. 409]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 1995/अश्विन 13, 1917
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1995/ASVINA 13, 1917

वित्त मंत्रालय

[राजस्व विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1995

सा. क्र. नि. 679/अ.—केंद्रीय सरकार, विशेषी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 § 1974 का 52 § की धारा 8 के खण्ड § द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. ओ. सं. 415/अ § तारीख 26 अप्रैल, 1994 को अधिक्रान्त करते हुए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष :

1. माननीय न्यायप्रति श्री पी. के. बहरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

सदस्य :

1. माननीय न्यायप्रति श्री आर. सी. लाहोती, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
2. माननीय न्यायप्रति श्री जी. के. जैन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फा. सं. 674/1/95-सीमाशुल्क-8]
स्प. सचिव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1995

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S.O. No./GSR No. 415(E) dated the 26th April, 1994, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :

Chairman :

1. Hon'ble Mr. Justice P. K. Bahri, Judge of Delhi High Court.

Members :

2. Hon'ble Mr. Justice R. C. Lahoti, Judge of Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain, Judge of Delhi High Court.

[F. No. 674/1/95/Cus. VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.